सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

Case File No. NCST/ATY-1063/MP/22/2023-APCR Dated: 10.05.2023

1. **Shri Priyank Mishra**
Collector & District Magistrate
District - Dhar
Dhar - 454001 (Madhya Pradesh)
Email:dmdhar@nic.in

2. **Shri Manoj Kumar Singh**
Superintendent of Police,
District – Dhar,
Prakash Nagar, Dhar-454001
(Madhya Pradesh)
Email:spodha@mp.gov.in

Subject: **Field Visit Report of the Investigation Team of the Commission conducted on 22.04.2023 in the matter of Shri Jaswantsinh S/o Shri Ratansinhji Bhabhar, Khajuri, Tehsil - Thandla, District - Jhabua, Madhya Pradesh regarding abusing with caste-indicative words, threatening to kill and breaking the wall of Petrol pump.**

Sir/Madam,

I am directed to enclose a copy of the Field Visit Report of the Investigation Team consisting of Shri Ankit Kumar Sen, Research Officer, Ms. Amrita Solanki, Senior Investigator and Shri Avinash, Legal Consultant, National Commission for Scheduled Tribes constituted to investigate the matter cited above.

2. In this regard, It is requested that action taken / to be taken on the recommendations/ findings made in the report may please be sent within 07 days from the receipt of this letter for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: as above

Yours faithfully,

(मिरांडा इंगुदम / Miranda Ingudam)
निदेशक / Director

Copy to:

Shri Jaswantsinh
S/o Shri Ratansinhji Bhabhar,
Khajuri, Tehsil - Thandla,
District - Jhabua,
Madhya Pradesh
Ph. No. 8160921270

copy to:-
NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल क्रमांक NCST/ATY-1063/MP/22/2023-APCR

मध्यप्रदेश जिला धार में ग्राम चिक्ट्या ए बी रोड़ में किए गए दौरे का विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देशानुसार श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, सुश्री अमृता सोलंकी, वरिष्ठ अन्वेषक, श्री अविनाश,विधिक सलाहकार द्वारा दिनांक 22.04.2023 को मध्यप्रदेश के जिला धार, तह. धरमरपुरी के ग्राम चिक्ट्या ए बी रोड़ धानी मे जसवंत भाभर के प्रेट्रोल पंप की सीमा दीवार तोड़ने तथा जातिसूचक गाली-गलोज़ करने के संबंध में प्राप्त शिकायत की स्थलीय जांच की गई।

आयोग को प्राप्त शिकायत के तथ्य :-

दिनांक 28.03.2023 को शिकायतकर्ता श्री जसवंतसिंह भाभर, निवासी खजूरी, तहसील -थांदला, जिला-झाबुआ, मध्य प्रदेश द्वारा एक लिखित शिकायत आयोग को प्रस्तुत की गयी। उक्त शिकायत में लेख है कि जिला धार, तह. धरमरपुरी के ग्राम चिक्ट्या ए बी रोड़ धानी में प्रार्थी का HPCL कंपनी का पेट्रोल पंप निजी भूमि पर करीब 17-18 सालो से संचालित हो रहा है। उक्त निजी भूमि के पड़ोस की भूमि जो प्रार्थी द्वारा भूमि खरीदने के बाद बिक्री हुई थी, वह अलका व ललित डांगुर की है। प्रार्थी की अनुपस्थिति मे ललित डांगुर ने सीमांकन करवाया तथा 0.086 Hectare भूमि प्रार्थी की भूमि की तरफ खुद की होना बता कर दिनांक 25.02.2023 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी के पेट्रोल पंप की दीवार तोड़ दी। डीज़ल पेट्रोल टेंक के ढक्कन तोड़े, कैमरे की केबल तोड़ी और अन्य तोड़ फोड़ कर नुकसान किया। जाति सूचक गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थी की सीमा दीवार तोड़ने तथा जातिसूचक गाली-गलौज़ करने के संबंध में पुलिस को बार-बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

आयोग द्वारा गई पूर्व में की गई कार्यवाही :-

1. दिनांक 31.03.2023 को आयोग द्वारा धार कलेक्टर श्री प्रियांक मिश्रा, पुलिस महानिदेशक, म.प्र श्री सुधीर सक्सेना तथा धार पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया।
2. दिनांक 06.04.2023 को धार कलेक्टर श्री प्रियांक मिश्रा एवं धार पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह को आयोग के समक्ष दिनांक 10.04.2023 व्यक्तिगत उपस्थित होने हेतु समन किया गया।
3. दिनांक 08.04.2023 को धार कलेक्टर श्री प्रियांक मिश्रा द्वारा आयोग से प्राप्त नोटिस का उत्तर दिया।
4. दिनांक 10.04.2023 आयोग की सुनवाई मे शिकायतकर्ता तथा धार कलेक्टर श्री प्रियांक मिश्रा एवं धार पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह उपस्थित रहे।
5. सुनवाई मे प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आयोग के माननीय सदस्य द्वारा स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिये गए।
6. आयोग द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया।

जांच दल द्वारा की गई कार्यवाही :-

1. दिनांक 22.04.2023 को जांच दल के सदस्य ग्राम चिक्ट्या ए बी रोड़ धानी में प्रार्थी जसवंत भाभर के पेट्रोल पंप पर पहुचे। स्थल निरीक्षण में जांच दल ने देखा कि प्रार्थी का पेट्रोल पंप ए बी रोड़ से लगी हुई भूमि पर है। पेट्रोल पंप के उत्तर में ए बी रोड़ से लगी हुई रिक्त भूमि है और उस रिक्त भूमि के उत्तर में ए बी रोड़ से लगा हुआ एक और अन्य पेट्रोल पंप है। दोनों पेट्रोल पंप के मध्य उक्त रिक्त भूमि अलका पति- ललित डांगुर की है।

2. प्रार्थी ने दिखाया कि उसकी सीमा दीवार जो कि उत्तर में थी, जिसके अवशेष दिखाई पड़ते थे, को ललित डांगुर ने अपने 15-20 व्यक्तियों की सहायता से JCB लगा कर दिनांक 25.02.2023 को तोड़ दिया और दीवार के दक्षिण में जहाँ प्रार्थी के पेट्रोल डीजल के भूमिगत टैंक है, उसके किनारे-किनारे ड्रिल की सहायता से तार जाली की सीमा बना दी गयी। प्रार्थी ने बताया कि वह जाली टैंकों पर आ रही थी जिससे पेट्रोल-डीज़ल नहीं निकाल पाने की दशा में प्रार्थी ने दिनांक 15.03.2023 को उस जाली को हटवा दिया। उक्त जालियां भी पंप के पूर्व में पीछे की और निरीक्षण मे पड़ी हुई पाई गई।

3. प्रार्थी द्वारा बताया गया कि पूर्व में जिधर पक्की दीवार थी, उसके हटने से टैंक और पेट्रोल पंप की सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। इस कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.03.2023 सीमेंट की एक दीवार बनवाई गयी थी, जिसे पुनः ललित डांगुर ने तुड़वा दिया। उक्त दीवार के अवशेष भी मौके पर थे।

4. प्रार्थी ने बताया कि ललित डांगुर द्वारा दीवार पुनः तोड़ने के बाद प्रार्थी के पेट्रोल पम्प के डीजल पेट्रोल भरे टैंकों के समीप द्वेषपूर्ण तरीके से मुरम (गिट्टी पत्थर) के ढ़ेर डलवा दिये है, जिससे प्रार्थी को पेट्रोल पम्प संचालन हेतु पेट्रोल डीजल प्राप्त करने मे असुविधा हो रही है इस परिस्थिति के कारण प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है। दल ने भी अपने निरीक्षण में गिट्टी पत्थर के इन ढेरों को देखा जो प्रार्थी के दावे की पुष्टि करता है।

5. स्थल निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पंप मे काम कर रहे कर्मचारियो ने उनके साथ मारपीट नहीं होना बताया। ललित डांगुर ने जब दीवार तुड़वाई और ड्रिल करवा कर जाली लगवाई, उसकी सूचना कर्मचारियों ने जब प्रार्थी को दी तब प्रार्थी पेट्रोल पंप पर अगले दिन आया।

6. पेट्रोल पम्प के कर्मचारियों ने यह भी बताया कि ललित डांगुर ने जब दीवार तुड़वाई तो इस दौरान वह पुलिस वर्दी में था।

7. मौके पर दोनों पक्ष आमने सामने नहीं हुये, इस बात की पुष्टि स्वयं प्रार्थी करता है।

जांच दल का विश्लेषण एवं निष्कर्ष :-

1. प्रस्तुत मामला पुलिस विरुद्ध जनता का है। पुलिस द्वारा अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाई गई है एवं जांच रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की गई है। इस तरह की जांच मे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाना जांच रिपोर्ट की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है।
2. यह प्रमाणित है कि अनावेदक ललित और अलका डांगुर द्वारा विधिवत कब्जा प्राप्त करने के पूर्व ही प्रार्थी के पेट्रोल पंप के उत्तर की सीमा दीवार गिरा दी गयी और तार की अस्थाई सीमा बना दी गयी।
3. अतः आयोग द्वारा अगली सुनवाई मे इन तथ्यों के आधार पर अनावेदक द्वारा बिना कब्जा प्राप्त किए दीवार तोड़ने के बिन्दु पर कार्यवाही हुई या नहीं, उसका प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक है। भूमि के वास्तविक दावेदार को लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी के पास अपील लंबित है। जिसका निस्तारण विवाद को हल करने के लिए आवश्यक है। अतः उक्त अपील का शीघ्र निर्णय आवश्यक है तथा उक्त दावे में प्रयुक्त सभी दस्तावेजों को आयोग के पटल पर लाया जाना आवश्यक है।
4. ललित डान्गुर के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह विदिशा में पुलिस विभाग में SDPO है एवं मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया की सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान वह पुलिस वर्दी में था। इससे यह प्रतीत होता है कि ललित डांगुर द्वारा इस प्रकरण में अपने पद का दुरुपयोग किया गया जिसकी विभागीय जांच करवाई जाना आवश्यक है।

(अंकित कुमार सेन)	(अमृता सोलंकी)	(अविनाश)
अनुसन्धान अधिकारी	वरिष्ठ अन्वेषक	विधिक सलाहकार